



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-380 राँची, गुरुवार,

29 जुलाई, 2021 (ई०)

परिवहन विभाग ।

अधिसूचना

29 जुलाई, 2021

संख्या-परि०आ० (कर माफी)-120/2020-785--झारखण्ड राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पूर्णतया लॉकडाउन (Lockdown) अवधि में वाहनों के परिचालन नहीं किये जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं०-2276, दिनांक-20.10.2020 के द्वारा वैसे वाहन जिनका पथकर दिनांक-24.03.2020 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिनांक-24.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो रही थी, का उक्त तिथि से झारखण्ड में लागू लॉकडाउन की अवधि में अव्यवहृत अंतरराज्यीय तथा समस्त परमिटधारी बसों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्ग कर से छूट प्रदान की गई है।

उक्त छूट अवधि में मार्ग कर की गणना/निर्धारण पर कार्रवाई के क्रम में विलम्ब होने की स्थिति में कतिपय वाहनों का कर भुगतान की अवधि समाप्त हो जाने से दण्ड शुल्क प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जनहित में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-23 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए उक्त श्रेणी के वाहनों का मार्ग कर इस अधिसूचना निर्गमन की तिथि से सात (7) दिनों तक की अवधि में जमा किये जाने की स्थिति में उक्त विलम्ब जनित दण्ड शुल्क पर छूट प्रदान की जाती है।

यह छूट मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत एवं पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-2276, दिनांक-20.10.2020 के आधार पर दी गई पथ कर माफी से आच्छादित वाहनों के लिए ही मान्य होगा।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक -06.07.2021 के मद संख्या-4 पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।
